Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 6 | ISSUE : 2 | FEBRUARY 2020

मानवाधिकार और सामाजिक न्यायः एक सैद्धांतिक विमर्श

कालूराम [1]

[1] सहायक आचार्य (दर्शनशास्त्र), डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ABSTRACT:

मानवाधिकार से तात्पर्य मानव के अधिकारों से है। सरल शब्दों में इसे हम इस प्रकार से समझ सकते है कि मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को मानव–प्राणी होने के नाते प्राप्त है, ये मौलिक शर्ते है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु अपरिहार्य है। ये बिना किसी आर्थिक सामाजिक भेदभाव के प्रदान किये जाते है। मनुष्य का जीवन गरिमामय एवं सम्माननीय हो इसके मूल में मानवाधिकारों की अहम भूमिका रही है। मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अ.जा.–ज.जा. वर्ग को देखा जाये तो उनकी स्थिति दयनीय रही है। वे राजनोतिक–सामाजिक–आर्थिक–धार्मिक दृष्टि से शोषण के शिकार रहे है। संविधान व कानून में ऐसे अनेक प्रावधान किए गये है जो इस वर्ग के मानवाधिकारों की समूची रक्षा करते है।

KEYWORDS:

स्वतंत्रता, अधिकार, मानवाधिकार, डॉ. अम्बेडकर, समानता, सामजिक समरसता, संविधान रक्षक, महिलाएँ, कानून, शोषण, दलित, इत्यादि।

शोध प्रविधि :

शोध आलेख को मौलिक एवं उपयोगी बनाने में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक एवं प्रयोगात्मक विधियों का सहारा लिया गया है। शोध आलेख प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के आधार पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मुख्य रूप से द्वितीयक स्त्रोतों को आधार बनाया गया है। शोध आलेख को तैयार करने में मुख्यतः विभिन्न पुस्तकालय जाकर शोध आलेख से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन किया गया है। इसके अलावा बहुमूल्य संसाधनों में प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध कार्य लेखों पत्र–पत्रिकाएँ, मूल दस्तावेजों का अध्ययन कर नवीन तथ्यों को शोध आलेख में सम्मिलित किया गया है।

शोध का उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध आलेख एक वैचारिक प्रस्फुटन है जो वर्ग शोषित, दलित, पिछड़ा तबका जो निरंतर गुलामी की दासता से जकड़ हुआ बैठा है उस वंचित समाज के लिए यह आलेख एक सूर्य की रोशनी लिए खड़ा है। यह आलेख इस बात की गवाही ह कि किसी भी वंचित समाज को आँख मूदकर नहीं बैठना है, वरन् अपने अधिकारों को जानना है। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है उसे खोने नहीं देना है वरन् आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करतें हुए समाज को चारों तरफ से चिंतनशील, मननशील व कर्मशील बनाना है।

शोध आलेखः मानवाधिकार और सामाजिक न्याय :

1. डॉ. भीमराव विश्व के सबसे महान मानवाधिकार रक्षकों एवं दार्शनिकों में से एक है। वह एक सच्चे दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने इस विचार के वैश्विक विकास में अधिकारों को कानूनी प्रतिष्ठा में योगदान दिया और आज तक वह मानवाधिकार रक्षकों को प्रेरित करते रहें है। वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन में दशकों तक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था और केवल बाद में आर्थिक व सामाजिक अधिकारों को मानवाधिकार वकालत में सबसे आगे लाया गया है। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की परस्पर निर्भरता की मान्यता में दूरदर्शी थें, उस समय भी जब राज्य इन मानदंडो को दो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अनुबंधों में विभाजित करने के लिए काम कर रहे थे।

2. इनका कथन था कि ''मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं को द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूँ'' उन्होंने विरासत और तलाक जैसे क्षेत्रों में भारत में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अपने प्रस्तावित हिन्दु कोड बिल सहित अनेक प्रयासों से सराहनीय कार्य किए – वह निश्चित रूप से सभी महिलाओं की हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत थे। अनेक प्रसंगों में पाया जाता है कि वे केवल दलित महिलाआ के दृष्टिकोण से ही बातें करते थे – ऐसा कहना सही नहीं है वे सदैव हर वर्ग की महिला का सामजिक व आर्थिक व राजनोतिक कल्याण का सपना देखने वाले व्यक्तित्व थे। इन्हीं के वैचारिक संघर्ष का परिणाम हमें आज इस रूप में मिल रहा है कि आज अतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला आंदोलन में दलित महिलाओं की भी आवाज निरंतर बुलंद हो रही है।

3. डॉ. अम्बेडकर इस बात को लेकर दूरदर्शी थे कि केवल लोकतंत्र शासन प्रणाली ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी नही है। उन्होंने भारत में विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों के लिए संविधान में कई सुरक्षाएँ बनाने का प्रयास किया। डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि 'भेदभाव' एक और खतरा है जिससे हमें बचना होगा यदि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को वास्तविक अधिकार बनाना है। वैश्विक जाति – आधारित भेदभाव को खत्म करने, अपने मानवाधिकारों की पूर्ति करने और सम्मान और न्याय की बहाली के लिए अपने संघर्ष में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है।

4. डॉ. भीमराव सदैव सामाजिक स्वतंत्रता के पक्षकर रहे है वे कहा करते थे कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके काम की नहीं। लोगों को उनके धर्म सामाजिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। अगर धर्म को लोगों की भलाई के लिए आवश्यक मान लिया जायेगा तो और किसी मानवता का कोई मतलब नहीं रहेगा। मनुष्य व उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। हमारे पास जो स्वतंत्रता है वो इसलिए है ताकि हम अपने सामाजिक व्यवस्था जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी पड़ी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधार सकें ।

5. डॉ. अम्बेडकर न केवल सामाजिक समानता बल्कि देश की एकता व अखण्डता के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारत को एक अटल अविभाज्य इकाई माना और इस विचार की स्थापना संविधान सभा में यह कहते हुए कि 'भारत राज्य का संघ नहीं, अपितु राज्यों का एक यूनियन है'' हमारे यहाँ किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी राज्य किसी दूसरे या पडोसी राज्य के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। यदि कोई करता है तो उसे न्याय दिलाने के लिए सर्वोच्च स्तर की न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान में है।

6. डॉ. भीमराव ने भारतीय संविधान में अ.जा.–ज.जा. वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए लेकिन वे आज भी भारतीय वर्ण व्यवस्था में व्यावहारिक रूप नहीं ले पाए है। भारत गाँवों में बसता है और गाँवों में आज भी भेदभाव व छूआछूत कायम है। डॉ. अम्बेडकर ने गौतम बुद्ध, संत कबीर ज्योतिबा फूले के जीवन से प्रेरणा लेकर वर्ण व्यवस्था सामाजिक समानता व धार्मिक कर्मकाण्डों का पुरजोर विरोध करते हुए सामाजिक न्याय पर बल देते हुए मानवाधिकारों की रक्षा की और जमकर संघर्ष किया वे हमेशा इस बात पर बल देते रहे कि संकीर्ण सोच हमें कभी भी ऊपर नहीं आने देगी। संकीर्ण मानसिकता मानव जाति के व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इस मानसिकता से हमें पार उतरना होगा।

निष्कर्ष :

डॉ. अम्बेडकर लिखते है कि जो कुछ मैं कर पाया हूँ वह जीवन भर मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूँ। जिस कारवा को आप यहाँ देख रहे हैं, उसे मैं अनेक कठिनाईयों से यहां तक ले पाया हूँ। अनेक अवरोध जो इसके मार्ग में आ सकते है, इसके बावजूद इस कारवाँ को बढ़ते रहना है। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहे, तो उन्हें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। जहां पर यह अब है। पर किन्ही भी परिस्थितियों में इसे पीछे नहीं हटने देना है। मेरी जनता के लिए मेरा यही संदेश है। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर ने वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करके अजा. जजा. व अल्पसंख्यक वर्ग के मानवाधिकारों की वकालत करते हुए उनको स्वाभिमान का जीवन जीना सिखाया और इंसानियत का

दर्जा दिलाया। डॉ. अम्बेडकर की यही सोच थी कि सामाजिक समरसता बनी रहीं, वैचारिक वैमनस्य समाप्त हो और सभी वर्गो में वैचारिक सांमजस्य की भावना प्रस्फुटित हो उनका यह सपना यथार्थ रूप ले सकता है यदि हमारी शिक्षा का सही अर्थों में सही मर्म, जन तक पहुॅचें । उनका संदेश हमें सदैव याद रखना होगा ''शिक्षित करों, आंदोलन करों संगठित रहों और अपने पर विश्वास रखो।''

REFERENCES

1. डॉ. जी.पी. एवं शर्मा डॉ. के.के. : मानवाधिकार सिद्धांत एवं व्यवहार, संस्करण 2009 – पृष्ठ 05

2. गौतम रूपचंद दलित मानवाधिकार, संस्करण 2008, पृष्ठ 7

3. डॉ. अम्बेडकर : संपूर्ण वाड्.मय खण्ड–।, संस्करण 2014, पृष्ठ 69

4. इण्डिया टूडे मासिक अंक माह अप्रैल 2014

5. डॉ. भीमराव अम्बेडकर जीवन और आदर्श, रामलाल विवके, संस्करण 2014, पृष्ठ 96